

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.4(ई) (एसीपी विविध)अलेसे-III/ 4939-4962

दिनांक 11/8/2014

विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष

विषय :- द्वितीय एसीपी स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार के द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रकरण में निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 06 के अनुसार आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण प्रेषित करें-

क्र.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पदस्थापन स्थान	मैरिट/ बैच	आक्षेप का विवरण
01	02	03	04	06
01	मेरूमल जैन	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जालोर	63/92	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 05-06, 08-09 एवं 09-10 भिजवावें।
02	रमेश चन्द मुदगल	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जोधपुर	94/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 05-06, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13 अनुपलब्ध भिजवावें।
03	मुकेश सांघी	मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग जोधपुर	327/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 07-08 एवं 08-09 भिजवावें।
04	गणेश कुमार सांघी	उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर परिक्षेत्र, चूरू	353/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 08-09, 11-12 एवं 12-13 भिजवावें।
05	ओम प्रकाश शर्मा	नगर निगम, जोधपुर	452/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 05-06 एवं 07-08, भिजवावें।
06	राजीव कुमार	कोषाधिकारी बांसवाडा	550/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05 से 06-07 भिजवावें।
07	लोकेन्द्र सिंह	कोषाधिकारी, भरतपुर	414/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05 से 12-13, भिजवावें।
08	अशोक कुमार शर्मा	नगर विकास न्यास, भरतपुर	187/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 05-06 एवं 12-13, भिजवावें।
09	विरेंद्र सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर	46/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 05-06 से 07-08 एवं 09-10 से 12-13, भिजवावें।
10	अमिन्दुद्दीन गोरी	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर 313001	154/94	एपीएआर अनुपलब्ध वर्ष 04-05, 10-11 एवं 11-12, भिजवावें।

नोट:- एपीएआर की स्थिति दिनांक 17.7.2014 की एपीएआर अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार अंकित हैं।

(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)
दिनांक

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एसीपी विविध)अलेसे-III/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपनिदेशक, एसीपी कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार

(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)